५०

85

माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क्र0 R-3446-I/14 /2014 रिवीजन

1. राम किशोर द्विवेदी पुत्र स्व. श्री बैजनाथ द्विवेदी व्यवसाय कृषि निवासी– ग्राम घटरा पोस्ट नाहर पुर जिला छतरपुर
2. महेश कुमार द्विवेदी पुत्र स्व.श्री.बैजनाथ व्यवसाय नौकरी निवासी– ग्राम घटरा पोस्ट नाहर पुर जिला छतरपुर
3. रमेश कुमार द्विवेदी पुत्र स्व. श्री बैजनाथ द्विवेदी व्यवसाय कृषि निवासी– ग्राम घटरा पोस्ट नाहर पुर जिला छतरपुर

........आवेदकगण

बनाम

1. महिला फुलिया पत्नी स्व. पुंन्ना बसोर व अन्य

...........अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 02.09. 2014 जिसके द्वारा नायब तलसीलदार जुझार नगर जिला छतरपुर द्वारा भूमि का सीमांकन निगरानीकर्तागण को बिना पूर्व सूचना दिये उनकी गैरमौजूदगी में सीमांकन कर निगरानीकर्तागण की भूमि को दबाकर अवैध तौर पर स्थायी चिन्ह आरोपित किऐ जाने के विरूद्ध यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, निगरानीकर्तागण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम घटरा तहसील जुझार नगर जिला छतरपुर सर्वे क्रमांक 832/1 रकवा 1.214 हैक्टर जोकि प्रार्थीगण की स्वामित्व की कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि से लगी अनावेदकगण की कृषि भूमि जिसकी की सर्वे नं0 840, 876 रकवा 0.769, 1.376 हैक्टर है ।
2. यहकि, अनावेदक गण ने सर्वे क्रमांक नं0 840, 876 रकवा 0.769, 1.376 हैक्टर के सीमाकन हेतु माननीय नायब तहसीदार महोदय जुझार नगर जिला छतरपुर के समक्ष सीमांकन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पर से माननीय विचारान न्यायालय ने हम प्रार्थीगण को बगैर कोई सूचना दिये हमारी गैर मौजूदगी में उक्त कृषि भूमि का सीमांकन कर दिया जिसमें आवेदकगण की अधिकांश कृषि भूमि अनावेदकगण के सीमांकन में दबा दी गई है। जिससे आवेदकगण को अपूरणीय क्षति हुई है और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।
3. यहकि, आवेदकगण उक्त सीमांकन प्रकरण में अनावेदकगण के मेंढिया कृषक हैं एवं इसकाररण प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के कारण उनकी गैर मौजूदगी में जो सीमांकन की कार्यवाही की गई है वह संहिता के प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्त की जाना न्यायहित में आवश्यक हुआ है। इसकारण आलौच्य आदेश के विरूद्ध यह निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है:–

-2- R-3440 E/14 ([illegible])

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	आदि के हस्ताक्षर
9.4.16.	आवेदक को अनेकों बार सुनवाई [illegible] उत्तर पालन हेतु वर्ष 2014 से निरंतर आ रहे हैं। जाहिर है कि आवेदक को अपने प्रकरण में कोई रुचि नहीं है अतः प्रकरण रुचि के अभाव में खारिज किया जाता है। [illegible] प्रकरण दा.खि. हो।	